

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 05/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

स्वतंत्र माइक्रो हाऊसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी
 श्री विरेन्द्र सिंह

पंजीकृत कार्यालय:-1,2,3 एवं 4, ग्राउण्ड फ्लोर, पुष्पक सीएचएसएल, मालवीय
 रोड, विले पार्ले (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र-400057

शाखा कार्यालय:-बी-118, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर, राज. 302015

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. शीशपाल उर्फ शिवपाल (फौत) पुत्र बाबुलाल हरिजन
 जगदीश प्रसाद पुत्र शीशपाल उर्फ शिवपाल (कानूनी उत्तराधिकारी शीशपाल
 उर्फ शिवपाल) निवासी पट्टा न. 04, संकल्प नम्बर 05, ग्राम पंचायत रसीदपुरा,
 धोद, सीकर राज. 332024

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
 of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 09 मार्च, 2026


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मंयक कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी शीशपाल उर्फ शिवपाल (फौत) पुत्र बाबुलाल हरिजन (आवेदक) जगदीश प्रसाद पुत्र शीशपाल उर्फ शिवपाल कानूनी (उत्तराधिकारी शीशपाल उर्फ शिवपाल) की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा न. 04, संकल्प नम्बर 05, ग्राम पंचायत रसीदपुरा, धोद, सीकर राज. 332024 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में शेडा पुत्र मंगा, दक्षिण दिशा में रास्ता रसीदपुरा, पूरब, दिशा में रास्ता आबादी व

१
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पश्चिम दिशा में हरीराम पुत्र बालु है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹4,44,557/- रुपये (अक्षरे रुपये चार लाख चौवालिस हजार पांच सौ सतावन) का ऋण स्वीकृत एवं ₹4,10,000/- (अक्षरे रुपये चार लाख दस हजार) वितरित कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.05.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.05.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी शीशपाल उर्फ शिवपाल (फौत) पुत्र बाबुलाल हरिजन (आवेदक) जगदीश प्रसाद पुत्र शीशपाल उर्फ शिवपाल कानूनी (उतराधिकारी शीशपाल उर्फ शिवपाल) की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा न. 04, संकल्प नम्बर 05, ग्राम पंचायत रसीदपुरा, धोद, सीकर राज. 332024 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में शेडा पुत्र मंगा, दक्षिण दिशा में रास्ता रसीदपुरा, पूरब दिशा में रास्ता आबादी व पश्चिम दिशा में हरीराम पुत्र बालु है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **09 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

